



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Reimbursement of fee under the provisions of RTE Act, 2009

ST. AUGUSTINE E.M.SCHOOL, SENDHWA [School id-9341]

Elizabeth Sadan Sendhwa, Distt- Barwani M.P.

RTE/ProID/175655/InstNo1/StuPro-24/Year/2017-2018/LDate/ Date-28/03/2019



प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला: बड़वानी

विषय :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मान्यता की जानकारी : शाला का मान्यता क्रमांक 28185194 एवं मान्यता की अवधि 01/04/2019 से 31/03/2022 तक है।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i)(c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक सत्र में संलग्न सूची अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सूची में उल्लेखित विवरण के अनुसार दिनांक की स्थिति में बच्चों की उपस्थिति 75% या उससे अधिक रही है।

कृपया अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधान अनुसार उक्त प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करने का कष्ट करें।

संलग्न: 1. 31 मार्च की स्थिति में स्कूल में प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की उपस्थिति की जानकारी।

2. फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र।

Signature valid
Digitally signed by
MOL MANUJ
Date: 2019.03.28
14:29:06 IST
Reason: Digitally Sign
Location: NIC

Bank Details Account No. :990210110009976

IFSC Code :BKID0009902

Bank Name :BANK OF INDIA

भवदीय,

प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य